

12-12-19 फ़ावली पेशदुई/वकील पाधी उपस्थित।  
प्रकरण में बहस सुनी गयी/फ़ावली वास्ते  
निर्णय हेतु दि० 26-12-19 को पेशदो।

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

26-12-19 फ़ावली पेशदुई/वकील पाधी उपस्थित।  
चूंकि मूलवाद में निर्णय पारित किया जा  
चुका है, इस कारण प्रकरण में कोई कार्य  
बाही अपेक्षित नहीं होने से पाधी का पार्थना  
पर खारिज किया जाता है।

फ़ावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर  
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

